न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

35 / 24
मएस : 2024 / 308

कानाराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार (राजपूत) निवासी 18 एल.जी.डब्लयू, तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

विक्रमजीत सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी 14 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)।
हरजीत कौर पत्नि शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी 14 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—188—209राज0 काश्त0 अधि0</u>

तारीख रजू 23.09.2024

उपस्थित अधिवक्तागण
. श्री सुशील गोदाराअधि. वादी।
2. एकपक्षीय कार्यावाही प्रतिवादी स.1 व 2

दिनांक : 27.02.2026

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से मुश्तरका खाता में वाके चक 14 टी.के. के खाता संख्या 63 / 12 मु0नं0 04 पं०नं0 142 / 292 में किला नं. 14 / 2 में 0.063 है० नहरी, किला नं. 15 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 2.846 है0 नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वादी का हिस्सा 2277 / 5692 है, तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की है। वादी द्वारा उपरोक्त भूमि वाके चक 14 टी.के. के खाता संख्या 63 / 12 मु.नं. 4 पं.नं. 142 / 292 में किला नं. 14 / 2 में 0.063 है0नहरी, किला नं. 15 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 2.846 है। नहरी भूमि में से किला नं. 21. 22, 23, 24 सालम व 25 में 0.126 है0 कुल 1.138 है0 नहरी भूमि खरीद की गई है तथा उपरोक्त खरीदशुद्धा किलाजात पर ही वादी का कब्जा काश्त है। शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। वादी ने उक्त खरीदशुद्धा भूमि किला नं. 21, 22, 23, 24 सालम व 25 में 0.126 है0 कुल 1.138 है। नहरी भूमि में खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाया है तथा उसी अनुसार उस पर कब्जा काश्त है। मैं वादी अपने खरीदशुद्धा भूमि किलाजात 21—22—23—24 सालम व 25 में 0.126 है० कुल 1.138 है. भूमि का किला विभाजन करवाना चाहता हूं, मेरे द्वारा कई बार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को अपने कब्जा काश्त अनुसार किला विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आज—कल, आज—कल कर टाल—मटौल करते रहे, आखिरकार दिनांक 20.09.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा चक 14 टीके में उपरोक्त भूमि का किलावाईज विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। किला विभाजन नहीं होने के कारण मामला जमा करवाने व भूमि काश्त करने में असुविधा होती है। बस यही तारीख विनाय दावा है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार रायसिंहनगर को भी पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि तहसीलदार भूमि के मालिक है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर शाश्वत व्यादेश जारी किया जाना न्यायो[illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस [illegible]। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज फरमाये जायेंगे। अतः [illegible] पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न प्रकार से [illegible] फरमाया जावे कि [illegible] के कब्जा काश्त में वाके चक 14 टीके के खाता सं[illegible] 142 / 292 में किला नं. 14 / 2 में 0.063 है0 नहरी, कि[illegible] 15 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 2.846 है। नहरी भूमि में से किला नं. 21, 22, 23, 24 सालम व [illegible] में 0.126 है० कुल

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

1.138 है० नहरी भूमि कब्जाकाश्त में है, कब्जा काश्त अनुसार किलावाईज विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। यह कि वादी की कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से दखलअन्दाजी करने व रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे व वादी की भूमि अनुतोष की मद संख्या क में वर्णित अनुसार डिक्री फरमाई जावे तथा ताफैसला मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल सूचना होने के बाद भी एक महिने से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त ही प्रतिवादीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं आयें। इस सूरत में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार रायसिंहनगर ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विवादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी सं. 2074–2077 वाके चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 की 2.846 है. नहरी कृषि भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/25/1562 दिनांक 04.12.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/6682 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 की 2.846 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. कानाराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापत) साकिन 18 एलजीडब्ल्यू शहर सूरतगढ रहन बैक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 के कि.नं. 21/.2277, 22/.2277, 23/.2277, 24/.2277, 25/.2277 कुल 1.1385 है. नहरी भूमि।
2. विक्रमजीतसिंह पुत्र शिवराजसिंह 1.1385है., हरजीतकौर पत्नी शिवराजसिंह 0.569 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार रहन विक्रमजीतसिंह– हरजीतकौर हिस्सा पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा मुकलावा चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 के कि.नं. 14/2/0.063, 15/.253, 16 ता 20/1.265, 21/.0253, 22/.0253, 23/.0253, 24/.0253, 25/.0253 कुल 1.7075 है. नहरी भूमि।
3. बहस वादी सुनी गई, बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि वाके विवादग्रस्त भूमि चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 की 2.846 है. नहरी [illegible] कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा [illegible] निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. कानाराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापत) [illegible] 18 एलजीडब्ल्यू शहर सूरतगढ रहन बैक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण [illegible] तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. [illegible] 142/292 के कि.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

21/.2277, 22/.2277, 23/.2277, 24/.2277, 25/.2277 कुल 1.1385 है. नहरी भूमि।

2. विक्रमजीतसिंह पुत्र शिवराजसिंह 1.1385है., हरजीतकौर पत्नी शिवराजसिंह 0.569 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार रहन विक्रमजीतसिंह– हरजीतकौर हिस्सा पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा मुकलावा चक 14 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 63/12 मु.नं. 4 प.सं. 142/292 के कि.नं. 14/2/0.063, 15/.253, 16 ता 20/ 1.265, 21/.0253, 22/.0253, 23/.0253, 24/.0253, 25/.0253 कुल 1.7075 है. नहरी भूमि। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। **रहन यथावत रहेगे**। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner